भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 126
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

युवाओं को अधिक कुशल बनाना और उनका पुन:कौशल

126. श्री अरविंद गणपत सावंत: श्री संजय हरिभाऊ जाधव: श्री श्रीरंग चंदू बारणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण कुछ नौकरियां समाप्त हो सकती हैं जबकि अन्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्यवल को और अधिक कुशल बनाने और उसे पुनः कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें पुन: कौशल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क से घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी), जो कौशल-संबंधी कार्यकलापों के लिए व्यापक नियामक है, एक राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर का रखरखाव करती है, जिसमें इसके द्वारा अनुमोदित कौशल पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। तकनीकी परिवर्तनों के कारण उद्योग की उभरती जरूरतों के मद्देनजर पंजी को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। इसके साथ ही, समय बीतने के साथ अप्रचलित हो चुके पाठ्यक्रमों को भी संग्रहीत किया जाता है। अद्यतन करने की यह पूरी प्रक्रिया उद्योग की जरूरतों से प्रेरित है, जिसे नए पाठ्यक्रम के उद्योग सत्यापन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, अर्हताओं को सीमित वैधता अर्थात सामान्यतः तीन वर्षों के लिए अनुमोदित किया जाता है, जिसके पूरा होने पर, संबंधित अवार्डिंग निकायों के औचित्य के आधार पर तथा नीति या तकनीकी विकास के कारण आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के आधार पर, अर्हताओं को संशोधित किया जाता है और पुनः अनुमोदित किया जाता है।

अर्हताओं के नियमित अद्यतनीकरण के भाग के रूप में, अब तक 7819 अर्हताओं को स्वीकृति दी गई है और 3577 अर्हताओं को संग्रहीत किया गया है।

पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन सरकारी कार्यनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिक आवश्यक नए कौशल हासिल करें जो तकनीकी परिवर्तनों के कारण उभर कर सामने आते हैं। व्यक्तिगत अर्हता आधारित राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस) विकसित किए गए हैं, जिससे श्रमिकों को बहुत कम अवधि के पाठ्यक्रमों के माध्यम से खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) का आकलन और प्रमाणन शामिल है, साथ ही पुनर्कौशलीकरण/कौशलोन्नयन के लिए अवसर भी प्रदान किया जाता है।

*****